न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 39/2023

अपीलांट –
किशनसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाईपुर, धारवी कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. किस्तुरसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. पोकरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाईपुर, धारवी कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. जगदीशप्रसाद पुत्र पेमाराम जाति ब्राहमण निवासी बिसुकला तहसील शिव
4. नखतसिंह पुत्र हरींगा
5. हडवन्तसिंह पुत्र हरींगा जाति पुरोहित निवासी सवाईपुर, धारवी कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 224 दिनांक 24.11.2010 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री देवीलाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 1व5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 6 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 224 दिनांक 24.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त [illegible] पुर में खेत खसरा संख्या 465, 466 रकबा 219–08 बीघा [illegible] किस्तुरसिह, किशनसिंह, पोकरसिंह पि. मंगलसिंह [illegible] धारवी कलां तहसील के नाम खातेदारी में दर्ज [illegible] ने कृषि जोतो का [illegible] हेतु दिनांक 24.11.2010 को प्रार्थना–पत्र पेश [illegible] प्रार्थना–पत्र के संल[illegible]भाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

धारवी कला की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार शिव द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 224 दिनांक 24.11.2010 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 01 एवं 2 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा सवाईपुर में खेत खसरा संख्या 465, 466 रकबा 219–08 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 प्रत्येक के हिस्से में 1/3 भूमि खातेदारी में बनती है। उतरदाता संख्या 1 व 2 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहमी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार करवाने की सहमति दी तथा पक्षकारान द्वारा पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा, जिस पर पटवारी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 व 2 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर कर भूमि का विभाजन करवाने हेतु आवेदन तहसीलदार शिव के समक्ष पेश किया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1व2 की भूमि का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त व विधिक हिस्सों के अनुसार नहीं कर गलत पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त एवं विधिक हिस्सों के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान)

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट वृद्ध व अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण इस विभाजन के संबंध में तैयार नक्शे का ज्ञान नहीं हुआ। अपीलांट का अपने हिस्से अनुसार लगातार कब्जा काश्त चलता रहा है परन्तु वर्तमान मे उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने का [illegible] उतरदाता संख्या 1 व 2 ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कब्जा नहीं कर वर्तमान नक्शे में की हुई तरमीम के अनुसार कब्जा करने हेतु कहा गया। जिस पर अपीलांट को तरमीम के बारे में संशय पैदा हुआ तथा अपीलांट ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सहमति से विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व विधिक हिस्से अनुसार नहीं किया गया तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार शिव से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 24.07.2023 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जावें एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सवाईपुर में खेत खसरा संख्या 465, 466 रकबा 219–08 बीघा भूमि खातेदारान किस्तुरसिह, किशनसिंह, पोकरसिंह पि. मंगलसिंह कौम पुरोहित निवासी सवाईपुर, धारवी कलां तहसील के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 24.11.2010 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी धारवी कला की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार शिव द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 224 दिनांक 24.11.2010 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट्स की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की वादग्रस्त भूमि मे तीनो भाईयों का एक समान 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का है परन्तु अपीलांट एवं किस्तुरसिंह के हिस्से में क्रमशः 42–08, 42–13 बीघा एवं पोकरसिंह के हिस्से में 125–07 बीघा भूमि खातेदार में दर्ज हुई जो कब्जे काश्त एवं विधिक हिस्सों के अनुसार नहीं हुआ। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच एव विधिक हिस्सों के आधार पर नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:31:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 224 दिनांक 24.11.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका–कब्जा, निष्फ हिस्सा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested